न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर
नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आरएएस उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या :– 12/2015(राजस्व वाद)

दायर दिनांक – 9.11.2015
फैसल दिनांक– 22.1.2018

1– लालशंकर पिता गंगाराम जोशी निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– श्री हरिराम पिता केशूराम ब्रा0 निवासी पारडा मेहता
2– श्री घनश्याम पिता केशूराम ब्रा0 निवासी पारडा मेहता
3– श्री मानशंकर पिता देवराम ब्रा0 निवासी पारडा मेहता
4– श्री जयशंकर पिता देवराम मेहता निवासी पारडा मेहता
5– रूकमणी बेवा देवराम मेहता निवासी पारडा मेहता
6– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी –श्री निखील सोमपुरा
वकील प्रतिवादी – श्री कल्पेश रावल
वाद अन्तर्गत धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ने मोजा पारडा मेहता पटवार हल्का अम्बाडा तहसील सागवाडा की जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 287 नया 47 पुराना के खसरा नम्बर 448 रकबा नव बिस्वा खसरा संख्या 449 रकबा 14 बिस्वा , खाता संख्या 288 नया 261 पुराना के खसरा नम्बर 452 रकबा 2 बिस्वा ,खसरा नम्बर 453 रकबा 9बिस्वा , खसरा नम्बर 458 रकबा 6 बिस्वा ,खसरा नम्बर 459 रकबा 4 बिस्वा ,खसरा नम्बर 460 रकबा 5 बिस्वा , खाता संख्या नया 372 पुराना 346 के खसरा नम्बर 454 राकबा 9 बिस्वा , खसरा नम्बर 457 रकबा 6 बिस्वा ,खसरा नम्बर 461 रकबा 8 बिस्वा , खसरा नम्बर 463 रकबा 7 बिस्वा एवं खाता संख्या नया 208 पुराना 196 के खसरा नम्बर 393 रकबा 15 बिस्वा प्रार्थी के खेत उक्त खसरों से जूडे होने के कारण प्रार्थी के खसरे के साथ साथ उक्त वर्णित तमाम खसरों की पेमाईश कराई जाना आवश्यक होना बताया है । यह कि वर्तमान में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा है परन्तु पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 बार बार सीमा विवाद किये जाने से दोनो खातो की पैमाईश सीमांकन फिल्ड बुक के आधार पर तहसीलदार सागवाडा की उपस्थिति में नपती कराई जाना आवश्यक होना बताते हुए वाद के अन्त में वाद स्वीकार किया जाकर बन्दोवस्त संख्या 2018 शीट के ट्रैस (मोगजाना) से गांव पारडा मेहता पटवार तहसील सागवाडा जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

287 नया 47 पुराना ,खाता संख्या 288 नया 261 पुराना , खाता संख्या 372 नया 346 पुराना एंव खाता संख्या नया 208 पुराना 196 के सम्पूर्ण खसरों की पैमाईश इलेक्ट्रोनिक मेजरमेण्ट मशीन से तहसीलदार सागवाडा की उपस्थिति में कराई जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी ने वाद पुष्टि मे शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ जमाबन्दी खाता संवत 2068–71 , जमाबन्दी खाता संख्या 372/346 ,नक्शा ट्रैस , जमाबन्दी खाता संख्या 372/346, 208/196 प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी संख्या 2 से 5 दिनांक 4.1.2016 को अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीमांकन हेतु सहमती दी । वकील पक्षकारान ने भी दिनांक 15.1.2018 को पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार आदेश पारित किए जाने सहमती दी ।

हमने पत्रावली एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी नकल संवत 2068–71 खाता संख्या 288 नया 261 पुराना के खसरा नम्बर 452 रकबा 2 बिस्वा , 453 रकबा 9 बिस्वा , 458 रकबा 6बिस्वा, 459 रकबा 4 बिस्वा , 460 रकबा 5 बिस्वा का खातेदार दर्ज है । प्रार्थी ने वर्तमान में अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज हो काश्त करना बताते हुए पडोसी खातेदार अप्रार्थीगण 1 से 5 से सीमा विवाद होने से तहसीलदार सागवाडा की उपस्थिति में नपती कराये जाने का निवेदन किया गया है ।

अतः वाद वादी स्वीकार एंव डिक्री किया जाकर मोजा पारडा मेहता की जमाबन्दी संवत 2068–71 खातासंख्या नया 287 पुराना 47 ,खाता संख्या 288 नया 261 पुराना ,खाता संख्या 372 नया 346 पुराना ,खाता संख्या 208 नया 196पुराना के सम्पूर्ण खसरो की नियमानुसार नपती तहसीलदार सागवाडा की उपस्थिति में कराई जाकर रिपोर्ट मय ट्रैस के प्रस्तुत करने आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.2018 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner